आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	आम्र्सवाद सं० 8/2015	
27/1/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **विकम सिंह, पिता–स्व0 बच्चा सिंह, ग्राम–बैजलपुर केसो, थाना–सोनपुर, जिला–सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 376/गो0 20.1.15 के द्वारा आवेदक विकम सिंह, पिता–स्व0 बच्चा सिंह, ग्राम–बैजलपुर, थाना–सोनपुर, जिला–सारण का रिवॉल्वर/रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जॉच के उपरान्त आरम्भ किया गया है। आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी। आवेदक के द्वारा बताया गया कि उनकी मॉ कल्याणपुर पंचायत के मुखिया हैं एवं उनके पिता की हत्या वर्ष 2001 में हुआ था, जो सोनपुर थाना कांड स0 191/2001 है और उस कांड के अभियुक्तगण जेल से बाहर हैं। ये बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग के निबंधित संवेदक हैं, जिससे इनके जानमाल पर खतरे की आशंका बनी रहती है। अपनी जान–माल की सुरक्षा के लिए इनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन को जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, सोनपुर के ज्ञापांक डी.आर. 77 दिनांक 15.1.15, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 116 दिनांक 16.1.15, अंचलाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 1761 दिनांक 17.12.14 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 1436 दिनांक 19.12.14 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 376/गो0 दिनांक 20.1.15 के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।	

पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक की माँ कल्याणपुर पंचायत की मुखिया हैं एवं उनके पिता की हत्या वर्ष 2001 में हुआ था, जिसके संबंध में सोनपुर थाना कांड सं0 191/2001, धारा–302, 34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज है। उस कांड के सभी अभियुक्तगण वर्त्तमान में जमानत पर जेल से बाहर हैं, जिनसे आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका बनी रहती है। अतः आवेदक को शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा की गयी है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका की वजह से शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने हेतु प्रेषित किया गया है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आवेदक के कथन थानाध्यक्ष, सोनपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक विकम सिंह, पिता–स्व0 बच्चा सिंह, ग्राम–बैजलपुर, थाना–सोनपुर, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रिवॉल्वर की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 63 दिनांक 29/1/15

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

प्रतिलिपि:–पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला शिक्षा,सारण,छपरा।
29/1/15